न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 12/2015 (उदयपुर आर्डर)

1. भंवरसिंह पिता उदयसिंह जी राजपूत, निवासी भगवानपुरा, पटवार सर्कल आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोविन्दसिंह पिता दूल्हेसिंह जी राजपूत, निवासी भगवानपुरा, पटवार सर्कल आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लेहरीलाल पिता दयाराम जी भील, निवासी बाबरियाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रमेश पिता दयाराम जी भील, निवासी बाबरियाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. दलीचन्द पिता दयाराम जी भील, निवासी बाबरियाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती शान्ती बेवा दयाराम जी भील, निवासी बाबरियाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पप्पू पिता दयाराम जी भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती शान्ती बेवा दयाराम जी भील, निवासी बाबरियाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व
अधिनियम – 1956 विरूद्ध निर्णय जिला
कलक्टर उदयपुर दिनांक 24–03–2015
प्रकरण संख्या 3/2014 आवंटन निरस्ती

———/———

उपस्थित(वक्तबहस):– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री डी.एस. शक्तावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक 17–09–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के पिता दयाराम मकान की चुनाई में मजदूरी का काम करता था, वह भूमिहीन काश्तकार नहीं था इसलिए उसे आराजी नंबर 1157 में 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि का जो आवंटन किया गया है, वह गलत है। आवंटन पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं हुई है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है। आवंटी ने एक दिन भी काश्त नहीं की है, बल्कि इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर प्रार्थीगण की चारों ओर पत्थर की कोट बनी हुई है। आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है तथा मिली भगत से उक्त आवंटन प्राप्त किया गया है। मौके पर कुछ सवर्ण जाति के लोग जे.सी.बी. लेकर आये एवं कहा कि जमीन पर हम जे.सी.बी. चलायेंगे तुम कब्जा हटा तो हमने जमीन खरीदना तय किया है। तब प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। आवंटन धोखे एवं मिस रिप्रजेन्टेशन से प्राप्त किया गया है तथा आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा। विपक्षी/आवंटी सद्भावी काश्तकार नहीं है तथा उसने कभी काश्त नहीं की है। निवेदन किया कि विपक्षीगण के पिता दयाराम को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण सवर्ण जाति के होकर प्रभावशाली लोग हैं, जो भूमियों के लेन–देन का कारोबार करते हैं, जिन्होंने विवादित भूमि को क्रय करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षीगण ने मना कर दिया। उक्त भूमि का विपक्षीगण के पिता को वर्ष 1977 में आवंटन होकर पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया है तब से मौके पर पूर्व में विपक्षीगण के पिता एवं वर्तमान में विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगण अनुसूचित जाति का सीधे–साधे व्यक्ति हैं। आवंटन विधि अनुरूप हुआ है एवं आवंटन सलाहकार की समिति द्वारा दिनांक 15–10–1977 को विधिवत आवंटन किया गया है। आवंटन के 47 वर्षो बाद आवंटन निरस्त करने का कोई आधार नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24–03–2015 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होना मानकर खारिज

कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–05–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री डी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अधिनस्थ न्यायालय में आवंटी द्वारा नियमानुसार आवेदन पेश नहीं किया गया है। आवंटी मकान चुनाई का काम करता है तथा भूमि काश्तकार नहीं है तथा पटवारी द्वारा त्रुटि पूर्ण रिपोर्ट की गयी है। आवंटन धोखा धड़ी से प्राप्त किया गया है। आवंटन पूर्ण उद्घोषणा जारी नहीं की गयी है तथा आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। आवंटी का कब्जा नहीं है तथा उसके द्वारा एक भी दिन काश्त नहीं की गयी है। आवंटन तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी है। अतएवं आवंटन निरस्त किया जाना वांछनीय है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये हैं :–

(1) अपीलान्ट ने प्रथम उजर यह लिया कि आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है।

आवंटी भूमिहीन काश्तकारी नहीं हो इस बाबत् पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर समायत योग्य नहीं है।

(2) अपीलान्ट/प्रार्थी का अन्य उजर यह है कि पटवारी द्वारा रिपोर्ट त्रुटि पूर्ण की गयी है।

हमारे द्वारा पटवारी की रिपोर्ट जो मौतबीरान की उपस्थित में बनायी गयी है, का अवलोकन किया गया है, जिसमें पटवारी ने 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन होना बताते हुए उक्त भूमि पैमूद की जाकर कब्जा आवंटी को संभलाया गया है। तद्नुसार पटवारी रिपोर्ट को त्रुटि पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

(3) आवंटन धोखा धड़ी से प्राप्त किया गया तथा आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है।

हमारे द्वारा आवंटन सलाहकार की अनुशंषा का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त आवंटन पर आवंटन सलाहकार समिति के कुल 4 सदस्यों के हस्ताक्षर होकर उपखण्ड अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं, तद्नुसार आवंटन के समय कोरम पूर्ण नहीं हो अथवा आवंटन त्रुटि पूर्ण किया गया हो, यह प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 18–10–1977 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया है, जो मौतबीरान के समक्ष किया गया है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15–10–1977 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवंटन किये जाने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नहीं की गयी है।

(4) अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि आवंटन पूर्व उद्घोषणा नहीं की गयी है।

आवंटन पूर्व उद्घोषण जारी नहीं की गयी हो, यह तथ्य अपीलान्ट/प्रार्थी के भार सिद्ध था, जिस बाबत् उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

(5) अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है।

पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध जिन्स गिरदावरी संवत् 2036 से 39, 2039 से 2042, 2057 से 2060, 2061 से 2064 एवं 2065 से 2068 के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि संवत् 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065 व 2066 में आवंटी द्वारा काश्त की गयी है,

तद्नुसार आवंटी द्वारा हालांकि विलम्ब से काश्त की गयी है, परन्तु आवंटन के 37 वर्षो बाद इस प्रकार के उजरात की कोई उपादेयता नहीं है, जबकि आवंटी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होकर उसे खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में आवंटन के 37 वर्षो बाद आवंटन की पालना नहीं किये जाने बाबत् अपीलान्ट के उजरातों की कोई महत्ता नहीं रहती है। वर्तमान में तो नये नियमों में आवंटन के संबंध में काश्त किये जाने के प्रावधान हैं, परन्तु पूर्व में हुए आवंटन पर इन प्रावधानों को लागू किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। हम इस प्रकरण में अपीलान्ट का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं पाते हैं तथा यह पाते हैं कि वह अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार आवंटी/रेस्पोन्डेन्ट को प्राप्त चुके हैं, जिसके बरूऐ हम प्रार्थी/अपीलान्ट का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

(I) आर.आर.डी. 1977 पेज 617 व आर.आर.डी. 1994 पेज 764

हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त न्यायिक नजीरें प्रमुखता उन महत्वपूर्ण आधारों पर आवंटन निरस्त किये जाने से संबंधित हैं, जहां आवंटन फ्रोड या मिस रिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया हो। यहां पर आवंटन की पात्रता बाबत् कोई संशय नहीं है, तदुनुसार यह नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

(II) आर.आर.डी. 1975 पेज 340 व आर.आर.डी. 1982 पेज 496

उक्त न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती, क्योंकि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह नहीं सिद्ध करवाया गया है कि उद्घोषणा जारी नहीं हुई है।

(III) आर.आर.डी. 1982 पेज 237

यह न्यायिक नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि इन भूमियों पर कब्जा अपीलान्ट/प्रार्थी का होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(IV) आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1410 व आर.आर.टी. 2005 (1) पेज 83

उक्त न्यायिक नजीरें भी वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि वर्तमान में नवीन नियम 14 (3) के आलोक में अप्रसांगिक हैं, क्योंकि इस प्रकरण में हालांकि आवंटी द्वारा प्रथम वर्ष में काश्त नहीं की गयी है, परन्तु पश्चातवर्ती काश्त किये जाने की साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध है तथा उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर जो काश्त किये जाने के आधार पर ही दिये जाते हैं, तद्नुसार अब आवंटन के 37 वर्षो बाद तथा खातेदारी मिलने के बाद उसके द्वारा भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है। अतएवं अब उस शर्तो का इन नजीरों के आलोक में कोई महत्व नहीं है, तद्नुसार हम ससम्मान यह व्यक्त करना चाहेंगे कि यह नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

(V) आर.आर.डी. 2005 पेज 629 व सी.एल.टी. 2009 पेज 360 (H.C.)

यह दोनों नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया जा चुका है कि आवंटन सलाहकार समिति के कोरम पर 4 व्यक्यिों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें नरेन्द्रपालसिंह चौधरी के भी हस्ताक्षर हैं, जो विधायक होकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके हस्ताक्षर हैं। तद्नुसार कोरम पूर्ण नहीं हो, ऐसी स्थिति प्रकट नहीं आती है।

(VI) आर.आर.डी. 1993 पेज 311

आवंटन फार्म पर आवंटी द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाया जाना प्रकट नहीं होता है, तदुनुसार यह नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

(VII) आर.बी.जे. 2007 पेज 492, आर.आर.डी. 2001 पेज 1, आर.बी.जे. 2014 पेज 120 व आर.बी.जे. 2000 पेज 547

आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना के सन्दर्भ में हमारे द्वारा उपर विवेचन किया जा चुका है, तदुनुसार यह नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट का आवंटन खारिज करने के लिए 37 वर्षो बाद आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि आवंटित भूमि पर उसका कब्जा होकर उसकी पत्थर की कोट बनी हुई है तथा आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गयी है तथा आवंटन शर्तो की उल्लंघना की गयी है। हम यह पाते हैं कि आवंटन विधि सम्मत हुआ है तथा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के बाद आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। इन परिस्थितियों में आवंटन को निरस्त किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर